8/6/18 अभिभाषक उभयपक्ष उप0। अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि सभी सम्बंधित पक्षकारों ने मिलकर विवाद को अपने स्तर पर तय कर लिया है अब पक्षकारों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है इसलिये प्रार्थीगण अब उक्त प्रकरण में कोई अनुतोष नहीं चाहते है उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण के अभिभाषक को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने प्रा० पत्र के स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति जाहिर की है।

चूंकि उक्त प्रकरण। रेफरेन्स धारा 82 L R Act के तहत प्रस्तुत किया गया है। उक्त रेफरेन्स प्रा० पत्र की छायाप्रति तहसीलदार चौमूं एवं को भेजी जावे। तहसीलदार चौमूं

Scanned by CamScanner

को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में गुणावगुण पर समुचित रिकार्ड, तथ्य व माननीय उच्च न्यायालय । राजस्व मण्डल इत्यादि निर्णयों के आधार पर जॉच करें यदि आवश्यक हो तो रेफरेन्स पेश करें।

अतः प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण की कार्यवाही इसी स्वरूप समाप्त की जाती हो पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से खारिज की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

[हरफूल सिंह यादव]
अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner